संख्या- 2322 /9-1-13-09सा/12

प्रेषक,

सी0बी0पालीवाल
प्रमुख सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,उ0प्र0
पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1   लखनऊः दिनांक 06 दिसम्बर, 2013

विषय : वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 18.03.2011/22-12-2011 द्वारा लिए गए सामान्य निर्णय के कम में राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला स्तर पर सृजित लिपिक संवर्ग के पदों के पदो के पदनाम व वेतनमान आदि निर्धारित किये जाने के संबध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग के संबध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम)/2008टीसी, दिनांक 18.03.2011 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2105/दस-54(एम)/2008टीसी, दिनांक 22.12.2011 द्वारा संसूचित सामान्य निर्णय के कम में आपके पत्र सं0 1243/रा0नि0आ0/अनु01/2011, दिनांक 14.10.2011 के कम में, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के जिला स्तर पर सृजित लिपिकीय संवर्ग के संलग्न अनुलग्नक-1 के विवरण (स्तम्भ-2 में पदों के पदनाम, स्तम्भ-3 व 4 के वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ-5 में पदों की संख्या एवं स्तम्भ-6 की भर्ती की विधि/अर्हता) को निम्नांनुसार पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

1. लिपिकीय संवर्ग के कनिष्ठ लिपिक /टंकक के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता में कम्पयूटर संचालन में डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र की अर्हता का समावेश करते हुए इन पदों को पदनाम कनिष्ठ सहायक रखते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनबैण्ड-1, रू. 5,200-20,200 एवं ग्रेड वेतन रू. 2000 दिनांक 18 मार्च, 2011 से अनुमन्य कराया जायेगा।
2. वरिष्ठ लिपिक वेतनबैण्ड-1, रू. 52,00-20,200 एवं ग्रेड वेतन रू. 2400 के पदों को वरिष्ठ सहायक पदनामित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनबैण्ड-1, रू. 5200-20,200 एंव ग्रेड वेतन 2800 दिनांक 18 मार्च, 2011 से अनुमन्य कराया जायेगा तथा वरिष्ठ सहायक के इन पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।

2. उक्त के फलस्वरूप लिपिकीय संवर्ग के अनुलग्नक-1 के पदो के पदनाम, वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन, भर्ती की संख्या एवं पदों को भरे जाने की विधि /अर्हता अनुलग्नक-2 के अनुसार संशोधित हो जायेगी।

M Go

3. उक्तानुसार उच्चीकृत/ संशोधित वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबधित पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश सं0 वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008टीसी, दिनांक 24.12.2009 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

4. उक्त व्यवस्था का समावेश संबधित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र करा लिया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू0ओ0-वे0आ0- 1059 /दस- 2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0बी0पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2322 (1)/9.1.13-9सा/12, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम व द्वितीय / लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड़, लखनऊ को उनके उपरोक्त
3. सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0/ पंचायती राज उ0प्र0।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. संबधित जिलाधिकारी एवं मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी संबधित जनपद (द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0)
7. वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड़, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0 8
9. वित्त (वेतन आयोग) अनु0 1 व 2
10. पंचायती राज अनु0 3
11. गार्ड फाईल।
12. वेव मास्टर, नगर विकास विभाग उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को विभागीय साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

M Go